

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।

सेवा में,

प्रबन्धक,

सेण्ट जोसेफ स्कूल (प्रा0स्तर) निचलौल
जनपद-महराजगंज।

पत्रांक/

534)-49

/2009-10/

दिनांक:-

49/09

विषय:-प्राथमिक विद्यालय की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में जनपदीय मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय के प्राथमिक स्तर की अस्थायी शासनादेश संख्या-230/15-6-96718एस(7)दिनांक:-18.1.96 एवं शासनादेश संख्या-1873 (1)15-6-96 के क्रम में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सत्र 2008-09से प्रदान की जाती है।

- 1- परिषदीय पाठ्यक्रमानुसार ही शिक्षा दी जाय।
- 2- अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति मान्य नहीं है। अर्ह अध्यापकों की नियुक्ति, अनुमोदन चालू सत्र में करा दिया जाय।
- 3- अवैधानिक कक्षाएँ संचालित न की जायें।
- 4- बिना पूर्वानुमति के कोई भी कक्षा उपवर्ग बन्द व समाप्त, स्थानांतरित न किये जायें। नियमानुसार पाँच वर्ग अनुमन्य होंगे।
- 5- विभागीय नियमों के अनुसार शिक्षण शुल्क का लेखा-जोखा रखा जाय।
- 6- इस कार्यालय की अनुमति के बिना किसी अर्ह, प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवा समाप्त नहीं की जायेगी।
- 7- विभागीय नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन तथा अनियमित कार्यों की दशा में मान्यता निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
- 8- स्थायी मान्यता प्राप्त करने हेतु पाँच वर्ष के अन्दर लिखित सभी शर्तों को पूरा करते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

भतरीय

(डा0आर0एच0प्रसाद)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।

पृ0सं0/

/2009-10-

तददिनांक।

लिपि:-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला समाज कल्याण अधिकारी, महराजगंज।
- 2- जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला बिकलांग/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद-महराजगंज।
- 3- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, महराजगंज।
- 4- संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद-महराजगंज।

(डा0आर0एच0प्रसाद)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।

Principal

St. Joseph's School
Nichlaul, Dist-Maharajganj
273304-(U.P.)

Manager
St. Joseph's School
Nichlaul, Dist-Maharajganj
273304-(U.P.)

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महाराजगंज।

सेवा में,

प्रबन्धक

सेन्ट जोसेफ्स स्कूल निचलौल

जनपद-महाराजगंज।

पत्रांक/

0618-82

/2009-10/

दिनांक:-

14/12/09

विषय:- अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय (कक्षा-6 से 8तक) की अस्थायी मान्यता प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक के संदर्भ में शासनादेश संख्या: 646/15-6-97-18एस0(7)/89 दिनांक:- 13.08.97 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जू0हा0स्कूल की अस्थायी मान्यता हेतु गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को (कक्षा-6 से 8तक) के विद्यालय की अस्थायी मान्यता आदेश निर्गत होने की तिथि से नीचे अंकित निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है। इस प्रकार विद्यालय में कुल 03 (तीन) वर्ग अनुमन्य होंगे। अतिरिक्त उप वर्ग की अनुमति तथा कक्षा संचालन हेतु पृथक से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। विद्यालय में प्र0अ0 सहित कुल पाँच अध्यापक/अध्यापिका, एक लिपिक, एक अनुचर मान्य होंगे। चार शिक्षकों में एक भाषा एवं एक विज्ञान गणित शिक्षक नियुक्त करना अनिवार्य है। विभागीय/शासकीय आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना करने एवं तथ्यों को छिपाने पर मान्यता प्रत्याहरण करने का अधिकार बेसिक शिक्षा संहिता में उल्लिखित सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

प्रतिबन्ध:-

1. विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्य पाठ्य पुस्तक से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जाएगी, आर न ही अन्य पाठ्य पुस्तकें प्रयोग की जाएंगी।
2. विद्यालय में राष्ट्रीय गीत/राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
3. प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिका ही रखे जायें। बिना बे0शि0अधि0की अनुमति के न तो शिक्षक रखे जायेंगे, न निकाले जायेंगे।
4. विद्यालय में प्राथमिक पाठशाला चलाया जाना सर्वथा अमान्य व अवैध माना जायेगा।
5. शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को परिषद् के समान वेतन महँगाई भत्ता आदि देय होगा।
6. विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
7. शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालय के समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। जिसको डाकघर राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जायेगा।
8. विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जाएगा।
9. सभी शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का अनुमोदन 06 माह के अन्दर कराना अनिवार्य है।

भवदीय

(डा0आर0एच0प्रसाद)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महाराजगंज।

14/12/09

पृ0सं0/

/2009-10- तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सप्तम मण्डल, गोरखपुर।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, महाराजगंज।
4. उप-बेसिक शिक्षा अधिकारी, महाराजगंज।
5. संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद-महाराजगंज।

(डा0आर0एच0प्रसाद)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महाराजगंज।

Manager
St. Joseph's School
Nichlaur, Dist-Maharajganj
273304-(U.P.)

Municipal
St. Joseph's School
Nichlaur, Dist-Maharajganj
273304-(U.P.)

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी-महाराजगंज

पत्रांक/मान्यता 053

/2020-21

दिनांक- 16, जून, 2020

प्रबन्धक

सेण्ट जोसेफ स्कूल

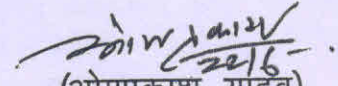
निचलौल

जनपद- महाराजगंज

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 20 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने की कोशिश करें, उक्त के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18(20) /91 शिक्षा अनुभाग-06 दिनांक 08 मई, 2013 के अनुपालन में सूच्य है कि मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो 03 वर्ष की अवधि पूरी होने पर वह मान लिया जाएगा कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है। विद्यालय वर्तमान में संचालित है एवं मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है। साथ ही आपको यह भी अवगत कराना है कि मान्यता आदेश के बिन्दु 13 तथा बिन्दु 17 में दिये गए निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाए।

कृपया उक्तवत अवगत होने का कष्ट करें।


(ओमप्रकाश यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महाराजगंज



Principal
St. Joseph's School
Nichlaul, Dist-Maharajganj
273304-(U.P.)



Manager
St. Joseph's School
Nichlaul, Dist-Maharajganj
273304-(U.P.)



महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समस्त शिक्षा, विद्या भवन, मिहातगंज, लखनऊ - 226 007

वेब-साइट: www.upesfa.com

ई-मेल: upesfaipo@gmail.com

दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128



प्रेषक,
राज्य परियोजना निदेशक,
स्कूल शिक्षा उपप्रो
लखनऊ।

सेवा में
श्री मनीष गर्ग,
संयुक्त सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

दिनांक: 08 मई, 2022

पत्रांक: रा0प0नि0/ 5654 /2021-22/लखनऊ

विषय- एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ- कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि "कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण-पत्र अपलोड कर प्रेषित करें"।

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वास्तविक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन बालिक शिक्षा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के दिन्दु- 15 में उल्लिखित निर्देश "प्रथमदृष्टया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपचारिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है" के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। आगामी सत्र से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू-डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के दृष्टिपत्र/समुचित प्रचार-प्रसार के अभाव में यू-डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान सत्र में यू-डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उक्तवत्

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांकन: रा0प0नि0/
प्रतिलिपि:

/2021-22/लखनऊ/तददिनांक

1. जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाओं के यू-डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. श्री सदा अख्तर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (साइंटिस्ट-एफ)
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

Principal
St. Joseph's School
Nichlaul, Dist-Maharajganj
273304-(U.P.)

Manager
St. Joseph's School
Nichlaul, Dist-Maharajganj
273304-(U.P.)